न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 अमित यादव,आई.ए.एस.,जिला कलक्टर नागौर

रसद मामला संख्या– 82/2021
जी.सी.एम.एस.पोर्टल नम्बर–2021/117

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये रामावतार पूनिया, प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय नागौर		सराफत अली पुत्र श्री लियाकत अली निवासी रूण तहसील मूण्डवा जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन)श्री रामावतार पूनियां ।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री ठाकुरप्रसाद राठी।

:: निर्णय ::

दिनांक :– 06.02.2024

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में जब्तसुदा 3130 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।
2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने जरिऐ अभिभाषक प्रार्थना का जबाब दिनांक 12.09.2023 को पेश कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त कर उनके विरूद्व की गई कार्यवाही को ड्रोप किये जाने का निवेदन किया है।
3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि दिनांक 14.08.2021 को श्री पार्थ सारथी जिला रसद अधिकारी,नागौर को पुलिस थाना, कुचेरा द्वारा दूरभाष पर ग्राम–रूण, तहसील–मूण्डवा में अवैध बायो डीजल के भण्डारण की सूचना मिली। जिला रसद अधिकारी महोदय नागार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में श्री रामावतार पूनियां, प्रवर्तन निरीक्षक व श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक सरकारी वाहन से पुलिस थाना कुचेरा पहुंचकर थानाधिकारी से सम्पर्क किया। थानाधिकारी की तहरीर के आधार पर जब्तसुदा 16 लोहे के ड्रमों का निरीक्षण किया गया जिसमें सभी में पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। पेट्रोलियम पदार्थ से भरे उक्त जब्तसुदा 16 लोहे के ड्रम अप्रार्थी सराफत अली निवासी रूण की ढाणी से व ग्राम रूण में स्थित उसके गोदाम से दो पिकअप गाड़िया मे भरकर पुलिस थाना कुचेरा लाये गये। अप्रार्थी सराफत अली को दूरभाष पर सूचित कर मौके पर बुलाये जाने पर भी मौके पर उपस्थित नही हुआ। मौके पर उपस्थित अप्रार्थी सराफत अली के भाई श्री शौकत अली पुत्र श्री लियाकत अली निवासी रूण से पूछताछ कर उनके बयान लिये गये। अपने बयानों मे अप्रार्थी सराफत अली के भाई श्री शौकत अली ने स्वीकार किया कि उसका भाई अप्रार्थी सराफत अली ग्राम रूण स्थित उसके स्वयं के गोदाम मे ट्रांसफार्मर ऑयल को बेचने का कारोबार पिछले एक वर्ष से कर रहा है। अप्रार्थी सराफत अली मैसर्स अनिल पेट्रो. ल्यूब प्रा०लि0 किशनगढ से ट्रांसफार्मर ऑयल खरीद कर इसके स्वयं के गोदाम मे भण्डारित कर इसे किसानों व मिस्त्रयों को विक्रय करता है। श्री शौकत अली ने बताया कि उसके भाई अप्रार्थी सराफत अली के पास इस ट्रांसफार्मर ऑयल के भण्डारण व विकय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व दस्तावेज नहीं है। मौके पर जब्त सुदा 16 लोहे के ड्रमों का उपस्थित गवाहों के समक्ष मापक रोड से मापन किया गया। मापन करने पर 14 ड्रमों में 210 लीटर प्रति ड्रम के हिसाब से 2940 लीटर, एक ड्रम में 135 लीटर व एक ड्रम में 55

कलक्टर नागौर

लीटर इस प्रकार उक्त सभी 16 ड्रमों में 3130 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया। अप्रार्थी सराफत अली के पास पेट्रोलियम पदार्थ के भण्डारण व विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार का अनुज्ञापत्र व दस्तावेज नहीं होने एवं अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ का भण्डारण व व्यापार किया जाने पर उक्त 16 लोहे के ड्रमों मे भरे हुए कुल 3130 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम अभिग्रहित किया गया। अभिग्रहित सभी 16 ड्रमों से बराबर मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ एल्युमिनियम की एक स्वच्छ बाल्टी मे भरकर नमूने हेतु प्रयुक्त होने वाली तीन स्वच्छ कांच की बोतलों मे प्रति बोतल 750 एम. एल. पेट्रोलियम पदार्थ भरकर मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष नमूना सील कर ब्रास सील से सील चस्पा किया गया तथा चारों नमूनों को क्रमशःइ ए.–1, ए.–2, ए.–3 मार्का दिया जाकर उन पर आवश्यक सूचनाएं यथा सैम्पल की मात्रा, प्रकार, स्थान आदि अंकित किया गया। जब्तसुदा 3130 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को प्रभारी मालखाना पुलिस थाना कुचेरा की सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर लिये गये नमूनों में से नमूना सं. ए.–1 वास्ते एफएसएल. जांच प्रभारी मालखाना पुलिस थाना कुचेरा की सुपुर्दगी मे दिया गया और प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये। नमूना ए–2 व ए–3 कार्यालय में सुरक्षित रखने हेतु साथ लिये गये। अप्रार्थी सराफत अली का यह कृत्य लुब्रिकेन्ट ऑयल एवं ग्रीस आदेश 1987 की क्लॉज 3, 4, 5ए. का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है।

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ ट्रान्सफार्मर ऑयल है,जो भी बिना अनुज्ञप्ति के किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा भण्डारण/विकय नहीं किया जा सकता है,इसलिए जब्त सुदा ऑयल राजसात किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

विद्वान वकील गैर सायल का दौराने बहस तर्क हैं कि हमारा जो ऑयल जब्त किया गया था वह जब्ती कार्यवाही जिला रसद अधिकारी,नागौर द्वारा नहीं की गई है। प्रकरण में फर्द मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट हैं कि जब्ती कार्यवाही परिवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई हैं,जिसे कोई अधिकार ही नहीं था। इस फर्दजब्ती पर जिला रसद अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं हैं। जब बिना अधिकार के कोई कार्यवाही की गई हैं तो वह अपने आप में झूठी कार्यवाही हैं।

उक्त प्रकरण में मुझ अप्रार्थी के यहां से 3130 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त होने का झूठा आरोप लगाया गया हैं तथा जो ऑयल बरामद किया गया हैं वह पेट्रोलियम पदार्थ नहीं हैं।

विद्वान वकील का यह भी तर्क हैं कि मुझ अप्रार्थी ने जो ऑयल क्रय किया था वह ऑयल मैसर्स अनिल पेट्रो ल्यूब प्रा.लि. किशनगढ़ से जरिए बिल क्रय किया था इसलिए उक्त ऑयल क्रय–विक्रय करना किसी प्रकार से प्रतिबन्धित न तो था व न हैं। अप्रार्थी द्वारा उक्त संबंध में अनिल पेट्रो ल्यूब प्रा०लि० किशनगढ़ का बिल नम्बर 291/2021–22 दिनांक 08.08.2021 प्रस्तुत किया हैं।

इस प्रकार हमारे विरूद्व की गई यह सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्व हैं। इसलिए निरस्त फरमायी जावें तथा जब्त सुदा ऑयल हमें पुनः लौटाया जावें।

4– बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट क्रमांक– FSL(JOD)/577/CAE/12/21 Date 29–04–2022 के निम्नानुसार है:–

(A) The liquid sample contained in the packet marked A1 did not confirm the BIS specification of.

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

(i) Diesel (15-1460: 2017) in respect of Distillation Characteristics and Kinematicviscosity at 40°C.

(ii) Biodiesel 8100 (IS-15607: 2016) in respect of Relative Density at 15°C and kinematic viscosity at 40°C.

(B) The liquid sample contained in the packet marked Al gave positive tests for the presence of Transformer oil in respect of Relative Density at 29.5°C, Kinematic viscosity at 27°C and flash point.

विधि विज्ञान प्रयोगशाला की उक्तानुसार रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ ट्रान्सफार्मर ऑयल है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 12.09.2023 को प्रस्तुत जबाब के बिन्दु संख्या–4 में अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि "मुझ अप्रार्थी ने जो ऑयल क्रय किया था वह ऑयल मैसर्स अनिल पेट्रो ल्यूब प्रा.लि. किशनगढ़ से जरिए बिल क्रय किया था इसलिए उक्त ऑयल क्रय–विक्रय करना किसी प्रकार से प्रतिबन्धित न तो था व न है।" अप्रार्थी द्वारा उक्त संबंध में अनिल पेट्रो ल्यूब प्रा०लि० किशनगढ़ का बिल नम्बर 291/2021–22 दिनांक 08.08.2021 प्रस्तुत किया है, उक्त बिल के Particulars esa Transformer Oil अंकित है। प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ को प्रार्थी ने भी अपने आवेदन में ट्रान्सफार्मर ऑयल होना मानकर कार्यवाही की हैं।

स्नेहक तेल और ग्रीज (प्रसंस्करण प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 1987 की धारा 2 (ख) की टिप्पणी अनुसार स्नेहक तेल और ग्रीज के अन्तर्गत ट्रान्सफार्मर ऑयल, उत्पाद/माल में सम्मिलित है। उक्त आदेश 1987 की धारा–3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति विधिमान्य अनुज्ञप्ति के निर्बन्धों और शर्तों के अधीन और उसके अनुसार प्रसंस्करणकर्ता का कारोबार कर सकता है। उक्त आदेश 1987 की धारा–4 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी स्नेहक तेल या ग्रीज के, जो अपमिश्रित की गई है, प्रसंस्करण, विनिर्माण, सम्मिश्रण, मिश्रण,पैकेज, परिष्करण, विक्रय या परिवहन का कारोबार नहीं करेगा। इस प्रकार विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा पदार्थ ट्रांसफार्मर ऑयल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत बिल अनुसार भी उक्त जब्तशुदा पदार्थ ट्रासफार्मर ऑयल है। अप्रार्थी ने अपने जबाब में अंकित किया है कि उक्त ऑयल क्रय–विक्रय करना किसी प्रकार से प्रतिबन्धित न तो था व न है, परन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त ट्रांसफार्मर ऑयल के क्रय–विक्रय करने के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिए अप्रार्थी का उक्त कथन साक्ष्य से परे होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी ने बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के उक्त ट्रासफार्मर ऑयल अपने कब्जे में रखकर भण्डारण कर उपर्युक्तानुसार आदेश 1987 की धारा 3 व 4 का स्पष्ट उलंघन किया है।

अतः जब्त सुदा सभी 16 ड्रम मय 3130 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल को राजसात किया जाता हैं तथा जिला रसद अधिकारी,नागौर को आदेशित किया जाता हैं कि जब्त सुदा ड्रम मय 3130 लीटर ट्रांसफार्मर ऑयल का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किया जाकर उनसे प्राप्त राशि को राजकीय राजकोष में जमा करवाया जावें। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी,नागौर को पालना हेतु भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर
नागौर

कलक्टर नागौर